बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–9/सै0–मलमास मेला (राशि)–02/2023–1398(9)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/05/2026

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **नालन्दा जिलान्तर्गत राजकीय राजगीर मलमास मेला, 2023 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु बकाया राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से मो0–2,92,79,203/- (दो करोड़ बानवे लाख उनासी हजार दो सौ तीन) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

समाहर्त्ता, नालंदा के पत्रांक–91/नजा0, दिनांक–18.02.2026 के आलोक में जिलान्तर्गत राजकीय राजगीर मलमास मेला, 2023 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु बकाया राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से मो0–2,92,79,203/- (दो करोड़ बानवे लाख उनासी हजार दो सौ तीन) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0002–हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण–2701, लघु कार्य माँग सं0–40 विपत्र कोड– 40–2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. नालन्दा जिलान्तर्गत राजकीय राजगीर मलमास मेला, 2023 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु बकाया राशि के भुगतान के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय संबंधित मेले के आयोजन के लिए हीं किया जायेगा तथा स्वीकृत/आवंटित राशि के व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561(वी0)(2) दिनांक–17.04.98 एवं विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 के आलोक में किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी CFMS 2.0 के माध्यम से आवंटन के पश्चात की जायेगी।

6. समाहर्त्ता, नालन्दा को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।

7. उक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

8. उक्त राशि का व्यय सिर्फ संबंधित मेले के आयोजन हेतु विभिन्न मदों में किया जायेगा।

9. यह राशि इस शर्त्त पर स्वीकृत एवं आवंटित की जाती है कि भविष्य में विभाग द्वारा आवंटित राशि के अन्तर्गत एवं निर्धारित मदों में ही व्यय किया जायेगा तथा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय सिंह) 26/5/26
सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांकः–9/सै0–मलमास मेला (राशि)–02/2023–1398(9)/रा0, पटना–15, दिनांकः–26/05/2026

प्रतिलिपि :–आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना /समाहर्त्ता, नालन्दा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह) 26/5/26
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–मलमास मेला (राशि)–02/2023–1398(9)/रा0, पटना–15, दिनांकः–26/05/2026

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–5(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह) 26/5/26
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–मलमास मेला (राशि)–02/2023–1398(9)/रा0, पटना–15, दिनांकः–26/05/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 26/5/26
सचिव।